समाहरणालय, अररिया

(जिला योजना कार्यालय)

मो0 नं0– 9931024766 Email-arariadpo.planning@gmail.com

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत माननीय स0वि0स0, अररिया के द्वारा सम्भावित बाढ़ को देखते हुए अपने विधान सभा क्षेत्रों में नाव क्रय कर आपूर्ति करने हेतु अनुशंसा पत्र प्राप्त हुआ है। संचिका संख्या 08–09/2021–22 के टि0पृ0 06 पर जिला पदाधिकारी, अररिया के अनुमोदनोपरांत एवं जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी, अररिया के पत्रांक 699/आ0प्र0, दिनांक 29.07.2021 के आलोक में जिला योजना कार्यालय, अररिया से नाव क्रय हेतु अल्पकालीन निविदा कराये जाने संबंधी निदेश प्राप्त हुआ है। जिसके आलोक में नाव क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए इच्छुक आपूर्तिकर्ता से मुहरबंद अल्पकालीन निविदा तकनीकी एवं वित्तीय बीड दो अलग–अलग लिफाफों में आमंत्रित किया जाता है। इच्छुक निविदादाताओं द्वारा संबंधित सामग्रियों की सूची एवं विशिष्टिताएँ जिला योजना कार्यालय, अररिया से प्राप्त किया जा सकता है। इच्छुक निविदादाता दिनांक 20.8.2021 को 2 बजे पूर्वाहन/अपराहन तक जिला योजना कार्यालय, अररिया में मुहरबंद निविदा जमा कर सकते है एवं दिनांक 20.8.2021 को 3 बजे पूर्वाहन/अपराहन में अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में अधोहस्ताक्षरी के वैश्म कक्ष में क्रय समिति के समक्ष निविदा खोली जाएगी, जिसमें निविदादाता अथवा उनके प्रतिनिधि भाग ले सकते है। विस्तृत जानकारी के लिए www.araria.bih.nic.in बेवसाईट पर देखा जा सकता है।

<u>तकनीकी विशिष्टि :–</u>

क्र0	सामग्री का नाम	साईज	गुणवत्ता	संख्या	अन्य विवरणी
1	नाव	बड़ी नाव **40x10x3**	सखुआ की लकड़ी **30%** जामुन की लकड़ी **70%** 1. नीचे तरी–तख्ता–मोटाई 1.25 इंज 2. तरी की चौड़ाई–72 इंच (06 फीट) 3. तरी की लम्बाई–20 फीट 4. तरी पर सर्पोटर–**4"x2"** (14 पीस) 5. बगली–तख्ता–1 इंच **26"x2"x1"** (दोनों साईड) 6. बगली दिवाल–तख्ता पर सर्पोटर की मोटाई–**4"X2"** (दोनो साईड) 14 पीस 7. बगली के दोनो साईड बंधन बती– उपरी भाग–**3"x1.25"** (दोनो साईड) 8. रस्सी बाँधने वाला खुटा– **3"x2.5"** 2 पीस 9. मलहा मांग पाटन दोनो साईड–तख्ता 01 इंच नीचे सर्पोटर **4"x2"** दोनो साईड (05 फीट लम्बाई में) 10. उपरी भाग सर्पोटर (गुरहा)–मोटाई **4"x2"** 04 पीस	आवश्यकता अनुसार	दर प्रति नाव सभी कर सहित
2	नाव	मंझौली नाव **25x6x2**	सखुआ की लकड़ी **30%** जामुन की लकड़ी **70%** 1. नीचे तरी–तख्ता–मोटाई 1.25 इंज 2. तरी की चौड़ाई–60 इंच (05 फीट) 3. तरी की लम्बाई–17 फीट 4. तरी पर सर्पोटर–**3"x2"** (10 पीस) 5. बगली–तख्ता–1 इंच **21"x1".5x1"** (दोनों साईड) 6. बगली दिवाल–तख्ता पर सर्पोटर की मोटाई –**3"X2"** (दोनो साईड) 10 पीस 7. बगली के दोनो साईड बंधन बती– उपरी भाग–**3"1.25"** (दोनो साईड) 8. रस्सी बाँधने वाला खुटा– **3"x2.25"** 2 पीस 9. मलहा मांग पाटन दोनो साईड–तख्ता 01 इंच नीचे सर्पोटर **4"x2"** दोनो साईड (04 फीट लम्बाई में) 10. उपरी भाग सर्पोटर (गुरहा)–मोटाई **4"x3"** 03 पीस	आवश्यकता अनुसार	दर प्रति नाव सभी कर सहित

नाव	छोटी नाव **20x6x1.9**	सखुआ की लकड़ी **30%** जामुन की लकड़ी **70%** 1. नीचे तरी–तख्ता–मोटाई 0.75 इंज 2. तरी की चौड़ाई–48 इंच (04 फीट) 3. तरी की लम्बाई–14 फीट 4. तरी पर सर्पोटर–**3"x2"** (10 पीस) 5. बगली–तख्ता–1 इंच. **21"x1".5x1"** (दोनों साईड) 6. बगली दिवाल–तख्ता पर सर्पोटर की मोटाई –**3"X2"** (दोनो साईड) 10 पीस 7. बगली के दोनो साईड बंधन बती– उपरी भाग–**3"1.25"** (दोनो साईड) 8. रस्सी बाँधने वाला खुटा– **3"x2.25"** 2 पीस 9. मलहा मांग पाटन दोनो साईड–तख्ता 01 इंच नीचे सर्पोटर **4"x2"** दोनो साईड (03 फीट लम्बाई में) 10. उपरी भाग सर्पोटर (गुरहा)–मोटाई **4"x2"** 03 पीस	आवश्यकता अनुसार	दर प्रति नाव सभी कर सहित

(क) <u>तकनीकी निविदा की शर्तें:–</u>

1. निविदादाता को अग्रधन के रूप में जिला योजना पदाधिकारी, अररिया के पक्ष में राष्ट्रीयकृत बैंक का मो0– **20,000/– (बीस हजार)** रूपये का बैंक ड्राफ्ट निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
2. निविदादाता को विगत तीन वर्षो का I.T.R. देना अनिवार्य होगा।
3. निविदादाता को चार्टड अकाउटेन्ट (C.A.) द्वारा विगत 03 (तीन) वर्षो में कुल **25,00,000.00 (पच्चीस लाख)** रूपये का टर्न ओवर का प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा
4. निविदादाता को इस आशय का शपथ पत्र मूल में देना होगा :–
   मैं (साफ–साफ बड़े अक्षरों में नाम) .... सुपुत्र /सुपुत्री/पत्नी श्री ....शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि :–

(क) मेरे /हमारे विरूद्ध किसी प्रकार का आपराधिक मामला किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

(ख) मुझे/हमें किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठान द्वारा वंचित काली सूची में दर्ज एवं विगत एक वित्तीय वर्ष के अन्दर एकरारनामा रद्द नही किया गया है।

(ग) मेरा/हमारा कोई निकटतम संबंधी (अभिप्रेत है पति/पत्नी, माता/पिता, भाई/बहन) कार्य देखने वाले अभियंता/प्रमण्डलीय लेखा पदाधिकारी/लेखापाल/जिला योजना पदाधिकारी /सदस्य/ अध्यक्ष क्रय समिति एवं उनके कार्यालय कर्मी के रूप में कार्यरत नहीं है।

(घ) निविदा में संलग्न सभी प्रमाण–पत्र कागजात, विवरणी सत्य है।

उपर्युक्त कंडिका क, ख एवं ग में गलत सूचना देने का दोषी पाये जाने अथवा कंडिका घ से कोई अभिलेख असत्य, नकली, जाली पाये जाने पर जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी को मेरे ऊपर विधि सम्मत दण्ड, मेरे निबंधन को काली सूची में दर्ज करने, प्राथमिकी दर्ज करने तथा अग्रधन/सुरक्षित जमा राशि जब्त करने का अधिकार होगा।

5. निविदादाता को सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्योग (**MSME**) के अंतर्गत उद्यम आधार में निबंधित होना अनिवार्य है।
6. निविदा आमंत्रण सूचना की सभी शर्ते एकरारनामा का अंश होगा।
7. निविदादाता को पुलिस अधीक्षक/सक्षम प्राधिकार का चरित्र प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
8. निविदादाता को काली सूची में दर्ज नहीं होने का नोटरी द्वारा सत्यापित अद्यतन शपथ पत्र देना होगा।
9. निविदादाता को आधार कार्ड की छाया प्रति/फर्म का पैन कार्ड की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
10. निविदादाता फर्म/कम्पनी को जी0एस0टी0 (**GST**) के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए।
11. निविदादाता फर्म /कम्पनी को जी0एस0टी0 (**G.S.T**) **Return Filling** विगत तीन वर्षो का अद्यतन होना चाहिए।
12. निविदादाता द्वारा निविदा के साथ संलग्न सभी कागजातों को पृष्ठांकित करते हुए स्वअभिप्रमाणित करना होगा।

वित्तीय निविदा की शर्तेः–

1. निविदादाता / निर्माता कम्पनी को विशिष्टियों के अनुरूप आपूर्ति सहित प्रति इकाई दर सभी कर सहित विहित प्रपत्र में अंकित करना अनिवार्य होगा।

विहित प्रपत्र

क्रमांक	नाव का साईज	दर सभी कर सहित
1	2	3

अन्य शर्तेः–

1. यह निविदा वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए मान्य है। यदि सफल निविदादाता के सामग्रियों से संतुष्टि हो तो जिला क्रय समिति के सहमति के पश्चात् वर्ष 2022–23 के लिए भी निविदा को बढ़ाया जा सकता है।
2. आपूर्ति की गयी नाव का रख–रखाव / मरम्मति की गारंटी अवधि कम से कम तीन वर्षो की होगी। इस तीन वर्षो की अवधि में आपूर्तिकर्ता को Maintenance हेतु अलग से कोई राशि देय नहीं होगी।
3. आपूर्ति की गयी नावों की गुणवत्ता एवं विशिष्टिता का सत्यापन के पश्चात् समर्पित विपत्र के आलोक में नियमानुसार जी0एस0टी0 एवं आयकर की कटौती के बाद भुगतान की कार्रवाई की जाएगी।
4. स्वीकृत किये गये नमूना एवं गुणवत्ता के अनुरूप नाव आपूर्ति नहीं किये जाने पर आपूर्तिकर्ता के विरूद्व कानूनी कार्रवाई करते हुए आपूर्ति किये गये नावों का कोई भुगतान नहीं किया जायेगा तथा जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी।
5. नाव की आपूर्ति हेतु किसी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा।
6. नाव की विशिष्टिता की जाँच समिति के तकनीकी पदाधिकारी के द्वारा की जाएगी। जाँच में विशिष्टिता के अनुरूप पाये जाने वाले नाव को आपूर्तिकर्ता के द्वारा गहनी एवं अलकतरा का कार्य करना होगा। साथ ही सभी नावों पर लोहे के प्लेट पर नावों की संख्या एवं अन्य विवरणी निदेशानुसार अंकित करना होगा।
7. स्वीकृत की गई निविदा के निविदादाता को इस आशय का एकरानामा करना होगा कि आपूर्ति आदेश के दस दिनों के अंदर नमुना के अनुरूप उचित संख्या, साईज, गुणवत्ता के अनुसार अररिया जिला के संबंधित अंचलो में नाव की आपूर्ति कर दी जाएगी। इसके लिए अलग से परिवहन व्यय देय नहीं होगा।
8. आपूर्ति की गई नाव की बाहरी दिवाल पीले रंग के अघुनशील पेंट से रंगा जायेगा ताकि ज्ञात हो सके कि सरकारी नाव है तथा साथ ही उस पर काले रंग से माननीय स0वि0स0 / स0वि0प0, मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना, जिला योजना कार्यालय, क्र0स0, अंचल का नाम एवं जिला का नाम अंकित रहेगा।
9. ऐसे निविदादाता जिसका विवाद किसी भी मामलें में जिला योजना कार्यालय से चल रहा हो वे इस निविदा में भाग नहीं ले सकते है।
10. निविदादाता को सरकारी क्षेत्र में कम से कम दो जिला में नाव आपूर्ति करने का अनुभव अवश्य होना चाहिए।
11. अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये निविदा को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
12. किसी भी विवाद कि स्थिति में अध्यक्ष, क्रय समिति का निर्णय अंतिम होगा एवं अररिया न्यायालय का क्षेत्राधिकार लागू होगा।

29.7.2021

उप विकास आयुक्त,
अररिया।